

FORM NO -III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

कलक्टर,

मुकाम

डीडवाना-कुचामन

प्रार्थी

अप्रार्थीगण

भूरी पुत्री खीवाराम जाति जाट निवासी बनाम
खारडापुरा तहसील नावां जिला
डीडवाना-कुचामन

जीवणी देवी पत्नी लिछमणराम जाति
जाट निवासी खारडापुरा तहसील नावां
जिला डीडवाना-कुचामन

किस्म मुकदमा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र

संख्या... 63 सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
10.06.2025	<p>प्रार्थी भूरी पुत्री खीवाराम जाति जाट निवासी खारडापुरा तहसील नावां ने अप्रार्थी जीवणी देवी पत्नी लिछमणराम जाति जाट निवासी खारडापुरा तहसील नावां वगैराह के विरुद्ध मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। उपखण्ड अधिकारी नावां से पैरावाईस टिप्पणी ली जावें। अप्रार्थी जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 01.07.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलक्टर, डीडवाना-कुचामन</p>	
01/7/25	<p>पत्रावली पेश हुई। दुआधीगण के सम्मन तलबाना पेश करे। पेश होने पर सम्मन जारी करने के जारी होने। पत्रावली वाले तलब दिनांक 16/7/25 को पेश होगी।</p> <p style="text-align: right;">01.07.25 जिला कलक्टर डीडवाना-कुचामन</p>	
16/7/25	<p>पत्रावली पेश हुई। दुआधीगण के सम्मन तलबाना पेश करे। पत्रावली वाले तलब दिनांक 12/8/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">16.07.25 जिला कलक्टर डीडवाना-कुचामन</p>	



12/8/25

पत्रावली पेश हुई
कार संघ अदालत में अदालती कार्य
स्थगित करना ही पत्रावली दिनांक
13/8/25 को पेश होई

13/08/2025

पत्रावली पेश हुई।
प्राची ने यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र
श्रीमती जीतू अलहरी, उपखण्ड अधिकारी नावां
के विरुद्ध पेश किया है। श्रीमती जीतू
अलहरी उपखण्ड अधिकारी नावां का स्थानान्तरण
हो चुका है। पीठासीन अधिकारी का
स्थानान्तरण हो जाने से इस मुन्तकिल
प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह
जाता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया
जाता है। पत्रावली फौजदारी इकाई को पेश
या स्थगित दायर हो।

जिला कलक्टर, 18.25
डीडवाना-कुचामन

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना-कुचामन

पत्रावली पेश हुई।
प्राची ने यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र
श्रीमती जीतू अलहरी, उपखण्ड अधिकारी नावां
के विरुद्ध पेश किया है। श्रीमती जीतू
अलहरी उपखण्ड अधिकारी नावां का स्थानान्तरण
हो चुका है। पीठासीन अधिकारी का
स्थानान्तरण हो जाने से इस मुन्तकिल
प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह
जाता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया
जाता है। पत्रावली फौजदारी इकाई को पेश
या स्थगित दायर हो।